



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012020-215440
CG-DL-E-15012020-215440

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 172]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 13, 2020/पौष 23, 1941

No.172]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 13, 2020/PAUSHA 23, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2020

का.आ. 182(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3221 (अ) नई दिल्ली, दिनांक १६ सितम्बर, २०१९, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले में एन एच ४७ के कि.मी. ९६.१५० से कि.मी. १२१.५१८ (सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल, तहसील - बैतूल, जिला- बैतूल) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "26 सितम्बर, 2019" को "दैनिक भास्कर" और "पत्रिका" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले में एन एच ४७ के कि.मी. ९६.१५० से कि.मी. १२१.५१८ (सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल, तहसील - बैतूल, जिला- बैतूल) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश					
जिले का नाम: बैतूल					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बैतूल				
	गांव का नाम: गढ़ा				
1	153/2	निजी	असिंचित	0.098	शांता पिता शंकरराव, मीरा पिता शंकरराव, मंजी पिता शंकरराव रेखा पिता शंकरराव (१५३/२/२)
2	153/3	निजी	असिंचित	0.3476	बलराम पिता नथू ()
3	154/1	निजी	असिंचित	0.1612	कला बेवा भोजराज, राहुल पिता भोजराज, पुष्पलता पुत्री भोजराज, सोनम पुत्री भोजराज, गीता पुत्री भोजराज (१५४/१/१)
4	154/1	निजी	असिंचित	0.393	कुसुम पति साहेबराव, दीपेंद्र पिता साहेबराव, विवेक पिता साहेबराव (१५४/१/२)
5	154/2	निजी	सिंचित	0.2671	रामदयाल पिता नथू, कृष्णी, शिवरती पुत्री नथू, दुलारी बेवा रामचरण,

					सुशीला बेवा रामचरण कल्लू , मलकु , भाड्या , कमलू पिता रामचरण , रज्जो पुत्री रामचरण (१५४/२, १५४/३)
6	156/4	निजी	सिंचित	0.2046	दिलीप व. परसराम ()
7	3/1	निजी	असिंचित	0.1768	हिरासिंह पिता नरसिंह, आधारसिंह सूरजमल पिता नरसिंह, ज्ञानसिंह पिता नरसिंह, प्रिटी पुत्री नरसिंह, फूला पुत्री नरसिंह लीला पुत्री नरसिंह , मधुरसिंह पिता नरसिंह ()
8	3/2	निजी	असिंचित	0.2402	हीरासिंह पिता नरसिंह, आधारसिंह सूरजमल पिता नरसिंह , ज्ञानसिंह पिता नरसिंह, प्रिटी पुत्री नरसिंह, फूला पुत्री नरसिंह लीला पुत्री नरसिंह , मधुरसिंह पिता नरसिंह (३/२)
9	3/3	निजी	असिंचित	0.0373	हिरासिंह पिता नरसिंह, आधारसिंह सूरजमल पिता नरसिंह, ज्ञानसिंह पिता नरसिंह, प्रिटी पुत्री नरसिंह, फूला पुत्री नरसिंह लीला पुत्री नरसिंह , मधुरसिंह पिता नरसिंह (३/३)
10	6	निजी	सिंचित	0.2685	सुरेश पिता रामदीन ()
11	7	निजी	असिंचित	0.1187	आशीष पिता इंद्रदेव ()
	गांव का नाम: कुम्हली				
12	183	निजी	सिंचित	0.0372	गोपिका बेवा तुकाराम, किसनजी पिता तुकाराम , तथा पुत्री तुकाराम , सिंधु पुत्री तुकाराम , सरिता पुत्री तुकाराम , मुल्लो बेवा गंगाराम , माधोराव पिता गंगाराम , सुरेश पिता गंगाराम , शेषराव पिता गंगाराम संगीता पुत्री गंगाराम

					(१८३)
	गांव का नाम: टाहली				
13	210	निजी	असिंचित	1.4722	हिरासिंह पिता नरसिंह, आधारसिंह सूरजमल पिता नरसिंह, ज्ञानसिंह पिता नरसिंह, प्रिटी पुत्री नरसिंह, फूला पुत्री नरसिंह लीला पुत्री नरसिंह , मधुरसिंह पिता नरसिंह (२१०/१)
14	210	निजी	असिंचित	0.1753	हिरासिंह पिता नरसिंह, आधारसिंह सूरजमल पिता नरसिंह, ज्ञानसिंह पिता नरसिंह, प्रिटी पुत्री नरसिंह, फूला पुत्री नरसिंह लीला पुत्री नरसिंह , मधुरसिंह पिता नरसिंह (२१०/२)
15	211	सरकारी	गैर कृषि	0.0645	सरकारी (२११)
16	215	सरकारी	गैर कृषि	0.0545	सरकारी ()
			कुल	4.1167	

[फा.सं. Harda-Betul/DPR/Chw/13213/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2020

S.O. 182(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 3321 (E) Dated 16th September, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of the stretch of land from Km 96.150 to Km 121.518 of NH47 (Competent Authority (Land Acquisition) and Sub Divisional Officer (Revenue) Betul, Tehsil- Betul, Dist.- Betul) in the state of MADHYA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Bhaskar” and “Patrika” both dated 26th September, 2019; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling in the stretch of land from Km. 96.150 to Km. 121.518 of NH47 (Competent Authority (Land Acquisition) and Sub Divisional Officer Revenue) Betul, Tehsil- Betul, Dist.- Betul) in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: BETUL		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Betul				
	Viillage: Gadha				
1	153/2	Private	Non Irrigated	0.098	Shanta S/o Shankarrao, Meera D/o Shankarrao, Manji D/o Shankarrao, Rekha D/o Shankarrao 153/2/2
2	153/3	Private	Non Irrigated	0.3476	Balram S/o Nathhuji
3	154/1	Private	Non Irrigated	0.1612	Kalaa W/o Bhojraaj, rahul S/o Bhojraaj, Pushplata D/o Bhojraaj, SonamD/o Bhojraaj, Geeta D/o Bhojraaj 154/1/1
4	154/1	Private	Non Irrigated	0.393	kusum W/o sahebrao, Dependra S/o sahebrao vivek S/o Sahebrao 154/1/2
5	154/2	Private	Irrigated	0.2671	Ramdyaal S/o Nathu, Krishni, Shivrati D/o Nathu, dulaari W/o Ramcharan, Sushila W/o Ramcharan kallu, Malku, Bhadya, Kamlu S/o Ramcharan, Rajjo D/o Ramcharan 154/2, 154/3
6	156/4	Private	Irrigated	0.2046	Dilip S/o Parasram
7	3/1	Private	Non Irrigated	0.1768	Hirasingh S/o Narsingh, Aadhaarsingh, S/o Narsingh, Surajmal S/o Narsingh, Gyaansingh S/o Narsingh, Prity D/o Narsingh, phoola D/o Narsingh,, Madhorsingh S/o Narsingh Madhorsingh
8	3/2	Private	Non Irrigated	0.2402	Hirasingh S/o Narsingh, Aadhaarsingh, S/o Narsingh, Surajmal S/o Narsingh, Gyaansingh S/o Narsingh, Prity D/o Narsingh, phoola D/o Narsingh, Prity D/o Narsingh, Madhorsingh S/o Narsingh Madhorsingh 3/2
9	3/3	Private	Non Irrigated	0.0373	Hirasingh S/o Narsingh, Aadhaarsingh, S/o Narsingh, Surajmal S/o Narsingh, Gyaansingh S/o Narsingh, Prity D/o Narsingh, phoola D/o Narsingh,, Madhorsingh S/o Narsingh Madhorsingh 3/3

10	6	Private	Irrigated	0.2685	Suresh S/o Ramdin
11	7	Private	Non Irrigated	0.1187	Ashish S/o Indradev
Village: Kumhali					
12	183	Private	Irrigated	0.0372	Gipoka W/o Tukaram, Kisanji S/o Tukaram, Natha D/o Tukaram, Sindhu D/o Tukaram, Sarita D/o Tukaram, Mullo W/o Gangaram, Madhorao S/o Gangaram, Suresh S/o Gangaram, Seshrao S/o Gangaram, Sangita D/o Gangaram 183
Village: Tahali					
13	210	Private	Non Irrigated	1.4722	Hirasingh S/o Narsingh, Aadhaarsingh, S/o Narsingh, Surajmal S/o Narsingh, Gyaansingh S/o Narsingh, Prity D/o Narsingh, phoola D/o Narsingh, Prity D/o Narsingh, Madhorsingh S/o Narsingh Madhorsingh 210/1
14	210	Private	Non Irrigated	0.1753	Hirasingh S/o Narsingh, Aadhaarsingh, S/o Narsingh, Surajmal S/o Narsingh, Gyaansingh S/o Narsingh, Prity D/o Narsingh, phoola D/o Narsingh, Prity D/o Narsingh, Madhorsingh S/o Narsingh Madhorsingh 210/2
15	211	Government	Non Irrigated	0.0645	Government 211
16	215	Government	Non Irrigated	0.0545	Government
			TOTAL	4.1167	

[F. No. Harda-Betul/DPR/Chw/13213/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.